

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या— 23/2019

निर्णय दिनांक — 04.04.2019

पीरी बाई पुत्री मदन जी, पत्नि ईश्वरलाल जी जाति ढोली आयु 53 साल निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।


— प्रार्थीया

// बनाम //

1. सत्यनारायण पिता नानुराम जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. अम्बालाल पिता रमेश जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. शम्भूलाल पिता रमेश मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश



पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लसडावन तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 553 के आराजी नं0 517 रकबा 0.4200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा लसडावन तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 553 के आराजी नं0 517 रकबा 0.4200 हैक्टेयर भूमि हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा